मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ९ सन् २०१९

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, २०१९

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९८७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, २०१९ है. **संक्षिप्त नाम.**

२. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९८७ (क्रमांक ११ सन् १९९०) की धारा २९ में, **धारा २९ का संशोधन.**

उपधारा (१) में, शब्द ''संचालक, चिकित्सा सेवाएं,'' के स्थान पर, शब्द ''आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश'' स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९८७ (क्रमांक ११ सन् १९९०) के अधिनियमन के समय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का एक भाग था. वर्ष १९९५ में, चिकित्सा शिक्षा विभाग को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से पृथक् कर दिया गया था.

२. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, २०१५ (क्रमांक ९ सन् २०१६) की धारा ४ की उपधारा (१) (ग) एवं उपधारा (२) में, शब्द ''संचालक, चिकित्सा सेवाएं,'' के स्थान पर, शब्द ''आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश'' स्थापित किए गए थे.

३. मूल अधिनियम में, धारा २९ की उपधारा (१) उपबंध करती है कि मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन राज्य चिकित्सा परिषद् के गठन होने तक ''संचालक, चिकित्सा सेवाएं, मध्यप्रदेश,'' राज्य चिकित्सा परिषद् की शक्तियों का प्रयोग करने तथा कृत्यों के निर्वहन करने हेतु विशेष अधिकारी होगा.

४. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यथा उपदर्शित इस विषमता पर निष्कर्ष दिए जाने के कारण यह आवश्यक हो गया है कि शब्द ''संचालक, चिकित्सा सेवाएं, मध्यप्रदेश'' के स्थान पर, शब्द ''आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश'' स्थापित किए जाएं.

५. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल:
तारीख २२ जून, २०१९.

डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ
भारसाधक सदस्य.

उपाबन्ध

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९८७

(क्रमांक ११ सन् १९९०) से उद्धरण

धारा १ से २८ * * * * * * * * * * * * * * * * * *

धारा २९ (१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार परिषद् को अस्तित्व में लाने के लिए, संचालक, चिकित्सा सेवाएं, मध्यप्रदेश को इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् प्रथम बार स्थापित की जाने वाली परिषद् के निर्वाचन का संचालन करने के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त कर सकेगी.

(२) धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन परिषद् की स्थापना होने तक, उपधारा (१) के अधीन नियुक्त विशेष अधिकारी को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन स्थापित परिषद् समझा जाएगा, और वह परिषद् की शक्तियों का प्रयोग और उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा.

* * * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.